अति–आवश्यक
हरियाणा विधानसभा अधिवेशन

हरियाणा विधानसभा अधिवेशन दिनांक 2–9–2015 से आरम्भ हो रहा है। इसलिए यह आदेश दिये जाते है कि निदेशालय/अधीनस्थ कार्यालयों का कोई भी कार्यालय अध्यक्ष तथा उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी सक्ष्म अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश ग्रहण नहीं करेंगें। इसके अतिरिक्त न तो घर से अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र भेजेगें और ना ही बिना पूर्व अनुमति के कार्यालय छोड़ेगें।

यह भी निर्णय लिया गया है कि दिनांक 2–9–2015 से आरम्भ होने वाले हरियाणा विधानसभा अधिवेशन के दौरान निदेशालय से कोई भी अधिकारी जिला स्तर की मासिक बैठकों में भाग नहीं लेगें और विधानसभा सम्बन्धी किसी भी कार्यवाही के लिए निदेशालय पर ही उपस्थित रहेगें।

यह भी आदेश दिये जाते है कि अधीनस्थ कार्यालयो में कार्यालय समय के बाद या राजपत्रित अवकाश के दिनो में हरियाणा विधानसभा अधिवेशन की अवधि तक किसी अनुभवी कर्मचारी की टैलीफोन पर डियूटी लगायेंगे ताकि किसी प्रकार की सूचना यदि अधीनस्थ कार्यालयो से प्राप्त की जानी हो तो उसमें किसी प्रकार का विलम्ब ना हो।

इन आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाये और इसकी पावती भेजें।

जी0एस0जाखड़
महानिदेशक, पशुपालन एवं डेरिंग,
हरियाणा, पंचकूला ।

पृ0 कमांक 27065-215 एस ई–1 दिनांक 26-08-2015

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. निदेशालय के सभी अधिकारीगण
2. निदेशालय के सभी शाखाध्यक्ष
3. निजी सचिव/महानिदेशक
4. निदेशालय के सभी कर्मचारी
5. सभी आदान तथा संवितरण पशुपालन एवं डेरिंग, हरियाणा राज्य

आदेशानुसार

कृते: महानिदेशक, पशुपालन एवं डेरिंग,
हरियाणा, पंचकूला ।
26/8